# न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

**द्वितीय अपील संख्या– 122 /2012–13** अन्तर्गत धारा–331(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

**श्री मायाराम**

**–बनाम–**

**श्री भूपाल सिंह आदि**

**उपस्थिति : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।**

**बावत**
**मौजा सिम्मलचौड़, पट्टी सुखरौ,**
**तहसील कोटद्वार, जनपद पौडी गढ़वाल।**

## आदेश

यह द्वितीय अपील विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–4/2009–10 भूपाल सिंह बनाम मायाराम में पारित निर्णयादेश दिनांक 13–08–2013 जिसके द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के विविध प्रार्थना पत्र संख्या–04/2008–09 भूपाल सिंह बनाम मायाराम में पारित आदेश दिनांक 21–10–2009 को निरस्त किया गया है के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी मायाराम ने वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के न्यायालय में वाद धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत योजित किया। इस वाद में प्रतिपक्षीगण की ओर से तामीली के बावजूद किसी के भी उपस्थित न होने पर विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 21–08–97 से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर ने वाद में वाद बिन्दु निर्मित करते हुए अपने निर्णयादेश दिनांक 06–11–97 से वादी/अपीलार्थी मायाराम को वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित किया गया। पुनः अपीलार्थी/वादी मायाराम ने विद्वान सहायक कलेक्टर के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30–05–2008 प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–11–97 के आदेश के पैरा में टाईपिंग की भूल से यह लिखने से छूट गया है कि प्रतिवादी नम्बर–3 भोपाल सिंह के हक से छः बीघा भूमि वादी के नाम बतौरी भूमिधर घोषित किया जाये। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 01–08–2008 से आदेश संशोधित किया गया। इन आदेशों के विरूद्व प्रतिपक्षी भूपाल सिंह ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 01–01–2009 अन्तर्गत आदेश–9 नियम–13 जाफ्ता दीवानी धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात विद्वान सहायक कलेक्टर, कोटद्वार ने अपने निर्णयादेश दिनांक 21–10–2009 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षी भूपाल सिंह ने विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष अपील योजित की जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 13–08–2013 से

आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार का निर्णयादेश दिनांक 21–10–2009 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। इस निर्णयादेश से क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील योजित की गई है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपर आयुक्त ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया कि मूल राजस्व वाद में प्रतिउत्तरदाता को नोटिस प्राप्त हुआ था और उसे जबावदावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। मूल वाद में दिनांक 06–11–97 को आदेश पारित होने के पश्चात सम्बन्धित ग्राम सिम्मलचौड की खतौनी में मूल आदेश वर्ष 1997 में ही दर्ज हो गया था। प्रतिउत्तरदाता ने अपने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नहीं किया कि 1997 में या उसके बाद वर्ष 2008 तक प्रतिउत्तरदाता ने उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थना पत्र देने तक क्या कार्यवाही की। इस कारण से भी विलम्ब माफी का स्पष्ट व जायज कारण न दिये जाने के कारण प्रतिउत्तरदाता का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। अवर अपीलीय न्यायालय ने मात्र अपने निर्णय में यह लेखा है कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है तथा मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में विलम्ब के पर्याप्त कारण इंगित किये गये हैं लेकिन अवर अपीलीय न्यायालय ने विलम्ब के पर्याप्त कारणों को अपने निर्णय में स्पष्ट नहीं किया गया है। अवर अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि प्रतिउत्तरदाता को सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 06–11–97 एवं दिनांक 01–08–2008 की जानकारी प्रथम बार 17–11–2008 को हुई थी। प्रतिउत्तरदाता को कभी भी मूल वाद में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी/वादी ने सहायक कलेक्टर के न्यायालय में एकपक्षीय आदेश प्राप्त किया। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिउत्तरदाता का कब्जा है और उस पर प्रतिउत्तरदाता का पक्का मकान, गौशाला आदि बनी हुई है। वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1997 से वर्ष 2008 तक राजस्व अभिलेखों में प्रतिउत्तरदाता का नाम दर्ज रहा है। मूल वाद में एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर अपीलार्थी/वादी ने 06 बीघा भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाया और इसके पश्चात 11 वर्ष बाद पुनः संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 06 बीघा भूमि पर अपना नाम एकपक्षीय रूप से दर्ज करवाया। संशोधन प्रार्थना पत्र में भी आदेश पारित करने से पूर्व प्रतिउत्तरदाता को कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेशों की जानकारी होने के पश्चात समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये। राजस्व अभिलेखों में प्रतिउत्तरदाता का नाम वर्ष 2008 तक दर्ज रहा है अतः उसका नाम अभिलेखों से निरस्त करने से पूर्व

सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। अवर अपीलीय न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलार्थी ने विद्वान सहायक कलेक्टर के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम योजित किया। इस वाद में प्रतिउत्तरदातागण की ओर से किसी के उपस्थित न होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलार्थी का घोषणात्मक वाद डिक्री किया गया। पुनः वादी ने सहायक कलेक्टर के समक्ष आदेश में संशोधन हेतु लगभग 11 वर्ष बाद इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आदेश में त्रुटिवश 06 बीघा भूमि वादी के नाम बतौर भूमिधर घोषित किया जाय, लिखना छूट गया है जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 01–08–2008 से स्वीकार करते हुए पुनः प्रतिउत्तरदाता का नाम निरस्त करते हुए वादी को भूमिधर घोषित किये जाने के आदेश पारित किए गए। विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश में विस्तृत विवेचना करते हुए यह पुष्ट किया है कि प्रतिउत्तरदाता भूपाल सिंह पर मूल वाद में नोटिस की तामीली पर्याप्त नहीं है। प्रतिउत्तरदाता को प्रेषित नोटिस का भी अवलोकन किया गया। इस नोटिस पर भूपाल सिंह के हस्ताक्षर हिन्दी में किये जाने उपलब्ध हैं, परन्तु नोटिस पर किसी के द्वारा गवाही नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में प्रतिउत्तरदाता भूपाल सिंह को नोटिस तामील हुआ है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी/मूल वाद के वादी मायाराम ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु पुनः आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह प्रार्थना पत्र भी मूल वाद में आदेश पारित होने के पश्चात वर्ष 2008 में लगभग 11 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया जिसे एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी एवं मूल वाद के वादी को भूमिधर घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश के पृष्ठ–3 के अन्तिम प्रस्तर में यह भी उल्लेख किया है कि अवर न्यायालय द्वारा वादी के संशोधन प्रार्थना पत्र जो कि लगभग 11 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया था पर एकतरफा सुनवाई करते हुए अपीलार्थी/प्रतिउत्तरदाता भूपाल सिंह का पक्ष सुने बिना ही आदेश पारित किया गया। जहां एक ओर विचारण न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 के आदेश का संशोधन वादी मायाराम के प्रार्थना पत्र दिनांक 30–05–2008 के आधार पर किया गया है वहीं दूसरी ओर भूपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 02–01–2009 को धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में पर्याप्त कारण न दिये जाने के आधार पर निरस्त किया गया है। न्यायिक दृष्टिकोण से यह कार्यवाही उचित नहीं है। यह न्यायालय विद्वान अपर आयुक्त की इस विवेचना से पूर्णतः सहमत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार मूल भूमिधर का नाम राजस्व अभिलेखों से पृथक करने से पूर्व उसे अपना पर्याप्त पक्ष रखने हेतु अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 13–08–2013 में कोई त्रुटि नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

बलयुक्त न होने के कारण अपील निरस्त की जाती है। अवर न्यायालयों की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

दिनांकः 16 अगस्त, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।